तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राकेश कुमार बनाम लो.सू.अ. (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 210 / 2020	
23.11.20	अपीलार्थी राकेश कुमार पुत्र रेशमाराम विश्नोई, पता सावलनगर, लोहावट जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 25.09.2020 में उसके द्वारा (1) लोहावट विश्नावास में स्टेट टाईम पट्टा जारी किया गया उस पट्टा जारी में रूपये जमा करवाये गये जमा रजिस्टर की 5–5 प्रमाणित प्रति दिलाने व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी ([illegible] कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh Ind
Date: 2020.12.16 15:42:06 IST
Reason: SelfAttested